

न्यायालय नायब तहसीलदार भियाड, जिला बाठमेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 124/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956

सायल

बनाम

गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी भियाड

रामलाल पुत्र गोकलाराम
जाति जाट निवासी रूपासरीया।

"निर्णय"

दिनांक-27.10.2025

पत्रावली आज बमुकाम भियाड मे पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भियाड ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गै.सा. ने गौजा रूपासरीया के खसरा नं. 1154/938 रकबा 827581 हैक्टेयर किस्म गी.मु.मगरा में से 0.8094 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तानिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने को आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रुपये 30/- पूर्णांक में अक्षरे तीस रुपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और मू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे। मू0 अभिलेख निरीक्षक को फसल नीलामी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 27.10.2025 को सरेआम सुनाया गया।




नायब तहसीलदार भियाड
नायब तहसीलदार
भियाड तह. शिव जिला - बाठमेर